21.06.2018	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2015/00118 अपील संख्या 11/2015 (223 आर.टी.एक्ट) उनवानः– हरप्रसाद बनाम धर्मवीर	
	वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील प्रत्यर्थी बार–बार आवाज दिलने पर भी उपस्थित नहीं एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश कैम्प के दौरान पारित किया गया हैं। वाद आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई में नियत था जो वकील के स्तर पर ही संभव था अतः प्रकरण उभय पक्ष को सुनकर निर्णीत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। पत्रावली से वकील अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती है अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को निर्णीत किया जावे। उभयपक्ष 10.07.18 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official